सीमेंट उद्योग पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्): (क) सरकार को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से सीमेंट उद्योग पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के लिए निर्यात विकास निधि की स्थापना करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Prices of drugs imported by the IDPL

@1401. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while granting permission to IDPL for import of drugs for stock and sale, no condition regarding sale price was imposed;

(b) whether it is also a fact that the drugs were sold at exhorbitant prices than that allowed by Chief Controller of Imports and Exports;

(c) if so, at what price each drug was sold;

(d) what steps have been taken to recover the profits earned by IDPL at the cost of poor consumer;

(e) whether it is a fact that permission has not been given to import bulk drugs to any other party; and

(f) if so, what is the policy in this regard?

@Previously Unstarred Question 436 transferred from the 27th April, 1989.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The sale of imported drugs by IDPL is in accordance with the relevant provisions.

(d) No undue profit has been made by the Company.

(e) and (f) Permission of imports is given on merits in accordance with EXIM Policy which has been placed on the Table of the House.

देश में लिग्नाइट का उत्पादन और उसकी खपत

@@1402. **श्री मीर्जा इर्शादबेग:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार लिग्नाइट का उत्पादन कितना है और इसकी देश में कुल कितनी खपत है;

(ख) गुजरात मे लिग्नाइट के खनन के संबंध में क्या-क्या आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य किया गया है या किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके वाणिज्यिक उत्पादन के संबंध में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या अनुसंधान कार्य कराने की कोई योजना है और ऐसा करने में क्या कारण है; और

(ङ) यह अनुसंधान कार्य कब किया जाएगा?

@Previously Unstarred Question 479 transferred from the 28th April, 1989.

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1988–89 के दौरान देश में हुए लिग्नाइट के उत्पादन/उपभोग को वर्षवार नीचे दर्शाया गया है:—

(मि० टन में)

राज्य	उत्पादन	उपभोग	
तमिलनाडु	11.40	11.40	(नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा)
गुजरात	1.183	1.183	
जोड़	: 12.583	12.583	

(ख) से (ङ) गुजरात के कच्छ जिले में पान्नधरों में ओपेनकास्ट खान का विस्तार किया जा रहा है ताकि निरन्तर खनन प्रौद्योगिकी कार्यरत करके विशेषज्ञता प्राप्त खनन उपकरणों के नियोजन द्वारा प्रतिवर्ष 1.5 मि०टन लिग्नाइट का उत्पादन किया जा सके। इस संबंध में प्रस्तावित लिग्नाइट को एक पिट्ट हैड पावर स्टेशन पर 2×70 मे०वा० विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल ने गुजरात राज्य के लिग्नाइट से संबंधित अन्वेषण, दोहन तथा उपयोगिता के मामलों की जांच की है।

इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का निर्माण कर रही कम्पनियां

†1484. @103. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी कम्पनियां इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बना रही हैं ;

(ख) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा बनायी गयी मशीनें ठीक प्रकार से काम कर रही हैं या इनके बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) :

(क) कम्पनियों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) कुल स्वीकृत क्षमता 117,500 इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर प्रति वर्ष है।

(ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियों की सूची :—

1. मै० फेसिट एशिया लि०, मद्रास।
2. मै० गोदरेज एण्ड बायस मैन्यु० कं० प्रा० लि०, बम्बई।
3. मै० रेयाला कारपोरेशन लि०, मद्रास।
4. मै० रमिंगटन रैंड आफ इण्डिया लि०, फरीदाबाद।
5. मै० पंजाब बिजनेस सिस्टम्स लि०, चण्डीगढ़।
6. मै० ऑटो कन्ट्रोल्स प्रा० लि०, परवानू।
7. मै० इण्डियन कम्युनिकेशन्स नेटवर्क लि०, नई दिल्ली।

† @Previously Unstarred Question 728 transferred from the 2nd May, 1989.